

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बाँसगाँव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु वाँछित अभियुक्तों के पतारसी सुरागरसी व मुकदमा अपराध संख्या 296/19 धारा 394 भादवि0 के अनावरण व तलाश अभियुक्त में मै 30नि0 रविसेन यादव मय हमराह का0 सुरेन्द्र चौहान के बेलीपार कस्बा में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 296/19 धारा 394 भादवि0 में लुटपाट हुई थी उससे सम्बन्धित माल अपने क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी जिसका नाम सुनील वर्मा के दुकान पर कुछ व्यक्ति आपस में बात करते हुए कि चलो उस माल को बेच दिया जा , कि मुखबिर की इस सूचना पर मै 30नि0 मय हमाराह मय मुखबिर के बताये हुये स्थान पर स्वर्ण व्यवसायी के दुकान कसिहार आया जहा मुखबिर दूर से इशारा कर बताया और हट बढ़ गया हम पुलिस वाले जो ही स्वर्ण व्यवसायी के मिलने हेतु आगे बढ़ रहे थे कि हम पुलिस वालो को देखकर दुकानदार बैठ कर निचे गद्दे पर अपना हाथ अन्दर किये हुए , खड़ा होकर बाहर निकलने के फिराक मे था कि हम पुलिस वालो को देखते हुए हड़बड़ा गया और इधर उधर की बात करने लगा , हम पुलिस वालो द्वारा पुछा गया कि आपके पास जो लड़के स्वर्ण आभूषण बेच के गये है व कहाँ के है इस पर मौन रहते हुए अपना नाम सुनील वर्मा पुत्र इन्द्रेश लाल वर्मा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर बताते हुए बता रहा है कि साहब उन लड़को द्वारा मुझे सोने का एक अदद लाकेट व चाँदी के चैन बेचा गया है , मैने उसे 900/- रु0 दिया है , सख्ती से पुछताछ कि गयी तो कोई माकूल जबाब नही दे सका और कहा की साहब हमसे गलती हो गयी इस तरह के सामान प्राय : औने – पौने दाम पर खरीद लिया करता हूँ , कहकर माँफी मागने लगा , माल के सम्बन्ध में पुछा गया तो अपने बैठे हुए दुकान के अन्दर गद्दे के निचे से सोने का लाकेट व चाँदी का चैन निकालकर दिया , अभि0 को उसके कृत्य अन्तर्गत धारा 414 भादवि0 व मु0अ0सं0 296/19 धारा 394 भादवि0 में 414 भादवि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए उसके अपराधो का बोध कराते हुए समय करीब 11.45 बजे मानवाधिकार आयोग व उच्च न्यायालय के आदेशो निर्देशो का पालन करते हुए हिरासत पुलिस लेकर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1- सुनील वर्मा पुत्र इन्द्रेशलाल वर्मा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व दिनांक व घटनास्थल

दिनांक 20.08.2019 समय 11.45 बजे दिन घटनास्थल कसिहार ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 296/19 धारा 394,414 भादवि0 थाना बेलीपार, गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद सोने का लाकेट व एक अदद चादी की चैन ।

अनावरण मुकदमा

1- मु0अ0सं0 296/19 धारा 394 भादवि0 व बढ़ोत्तरी धारा 414 भादवि0 थाना बेलीपार, गोरखपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1- 30नि0 श्री रविसेन यादव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर ।

2- का0 सुरेन्द्र चौहान थाना बेलीपार गोरखपुर ।